न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/2008 (75 एल. आर. एक्ट)

उनवान

1. बसन्ती पत्नी श्री टीकम सिंह
2. मु0 रत्तो पत्नी रामेश्वर
3. मु0 सन्तो पत्नी नवाव
4. मु0 इन्द्रा पत्नी साहब सिंह

जाति गूजर निवासी ग्राम खैरारा अति0 तहसील सरमथुरा

.........................अपीलांट।

बनाम

1. वासदेवदास चेला गोपाल दास जाति बैरागी निवासी ग्राम हज्जपुरी मजरा खुर्दिया अति0 तहसील सरमथुरा।

..................................रेस्पोंडेंट ।

2. आवंटन सलाहकार समिती उपखण्ड अधिकारी धौलपुर जरिये अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिती धौलपुर।
3. प्रिया सिंह पुत्र विष्णु दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा सरमथुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..................................तरतीवी रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 24.07.2007 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर प्र0स0 10/2006 उनबा वासदेवदास बनाम प्रिया सिंह

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री जानकीप्रसाद शर्मा उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक– 13.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 24.07.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि तरतीवी रैस्पो0/अप्रार्थी प्रिया सिंह के नाम तहसीलदार बसेडी व पटवारी हल्का खुर्दिया की गलत रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 477 में से 05 बीघा आराजी वाके ग्राम खुर्दिया दिनांक 04.11.1976 को उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने आवंटित कर

दी, जो कानूनन नहीं हो सकती थी। क्योंकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के दर्ज थी। इसलिए आवंटन काबिल खारिजी है। तरतीवी रैस्पो0/अप्रार्थी ने उक्त आराजी अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को गलत रूप से विक्रय कर दी है। उक्त गलत आवंटन एवं विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण विवादित आराजी से रैस्पो0/प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं। विवादित आराजी पर रैस्पो0/प्रार्थी का कब्जा है तथा उनके द्वारा मंदिर की पूजा एवं आश्रम, गौसेवा हेतु पेड–पौधे व फुलवारी लगाये गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, तरतीवी रैस्पो0/अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन दिनांक 04.11.1976 व 28.06.1976 निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो को ही बहस कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की विवेचना कानूनी तौर पर नही करके मनमाने तौर पर पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश का अद्योपान्त अध्ययन किया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.2007 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 07.12.2007 को लगभग 04 माह पश्चात इस न्यायालय में पेश की गई है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब शमन करवाने के लिये उचित कारण भी स्पष्ट नही किये हैं। जबकि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की मौजूदगी में पारित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की स्वयं की उदासीनता को अनदेखा नही किया जा सकता है। अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है।

5. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा नकल खसरा गिरदावरी वाके ग्राम खुर्दिया संवत 2038–48 व संवत 2057–60 के आलोक में आवंटन नियमों की पूर्णरूपेण पालना नहीं करने के कारण, आवंटन निरस्त किया गया है। जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। उक्त नकल खसरा गिरदावरी में विवादित भूमि पर काश्त ना होकर पडत दर्ज है। इस प्रकार आवंटी प्रिया सिंह अपीलाधीन भूमि का अधिकारी नहीं पाया गया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तो फिर प्रिया सिंह के हंस्तान्तरिती अपीलाण्ट भी नहीं हो सकते। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का निर्णय दिनांक 24.07.2007 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official